फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री विनोद सुहालका** विपक्षी :– **ओमप्रकाश**

किस्म मुकदमा :– 131 एल.आर.एक्ट पत्रावली संख्या :– **199/25 वाद**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/619**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 08.01.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व ग्राम धुणीमाता की जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 2165 रकबा 0.3237 हैक्टेयर प्रार्थी विनोद पिता चितरंजनलाल जाति कलाल (सुवलका) निवासी 64ए सर्वऋतु विलास उदयपुर एवं खसरा नम्बर 2553 रकबा 0.6232 हैक्टेयर बिलानाम रास्ता तथा खसरा नम्बर 4199/2553 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4528/2553 रकबा 0.0890 हैक्टेयर श्री ओमप्रकाश, जगदीश, प्रकाश, ललित पिता खुमाणलाल ब्राहम्ण निवासी 47 कृष्णपुरा गली नम्बर 3 उदयपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर खसरा नम्बर 2165 के पूर्व दिशा की ओर एन. एच. 76 से धूणीमाता जाने वाला बिलानाम रास्ता नम्बर 2553 में स्थित है एवं रास्ते से पूर्वी दिशा में रास्ते के किनारे–किनारे खसरा नम्बर 4199/2553 एवं 4528/2553 स्थित है। जो लट्ठा शीट व मौका अनुसार प्रस्तावित नक्शा संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील घासा के आराजी नम्बर 2553, 4199/2553, 4528/2553 की तरमीम लट्ठा नक्शे में अंकित है। लट्ठा नक्शे अनुसार हाल भू–नक्शा बटर शीट तैयार की गई। परन्तु वर्तमान नक्शा तैयार करते समय उक्त आराजीयात की तरमीम लट्ठा नक्शा अनुसार नही कर राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपने मनमुताबिक कर दी गई। जिससे नक्शे में उक्त आराजीयात का रकबा कम – ज्यादा हो गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ऑनलाईन/हाल नक्शा तैयार करते समय साबिक नक्शे अनुसार ही तैयार किया जाना था। अर्थात अपने मनमुताबिक तरमीम करने का राजस्व कर्मचारियो को कोई अधिकार नही था। इस प्रकरण में [illegible] तहसीलदार घासा द्वारा स्वीकार किया गया है कि लट्ठा नक्शे एवं [illegible] में उपलब्ध नक्शा शीट में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:56 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात की तरमीम में भिन्नता है। परन्तु इस प्रकरण में तरमीम गलत कर देने से आराजीयात का रकबा कम ज्यादा अंकित हो गया जो कि न्यायोचित नही है। तहसीलदार घासा द्वारा लट्ठा नक्शा अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया है। अतः प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाकर नक्शे में तरमीम शुद्धि किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम धूणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील घासा के आराजी नम्बर 2553, 4199/2553, 4528/2553 की तरमीम लट्ठा नक्शा/ प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:56 IST
Reason: SelfAttested